FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम........................

....गंगाराय.... बनाम ....पुन्नाराय....

किस्म मुकदमा ....111, 128 R.L.R. act.... नं. ....153/19.... सन्........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.19	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री ....पुन्नाराय.... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा ....111, 128 R.L.R. act.... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....11.06.19.... को पेश हो।	
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/07/19 को पेश हों।	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु०। मीजान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/08/19 को पेश हो।	
26/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/12/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:32:36 IST
Reason: SelfAttested

17/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत शामिल सेर आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार्के व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिस कारण बरसात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सेढे को लेकर तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की पैमाबन्दी करवाना आवश्यक है जिसके तहसीलदार असमर्थ रहे हैं। इसलिए प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमा-बन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
17.12.2019
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

क्रमांक / वाद /

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:32:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 1014

दिनांक:– 17/12/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सांगाराम पुत्र वालाराम वगैरा जाति जाट निवासी खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. पुनमाराम पुत्र जेठाराम वगैरा निवासी खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हनुमानपुरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 135, 136, 149, 150, 153, 163, 130, 131, 151, 152 रकबा क्रमशः 00.09, 21.02, 09.05, 00.02, 07.06, 42.12, 00.06, 14.14, 00.04, 15.06 बीघा पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 17-12-2019
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

(मुहर: सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु)

क्रमांक / वाद / 2019 / 1015-19

दिनांक:– 17/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री सांगाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री पुनमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:32:36 IST
Reason: SelfAttested